रामेश्वर बनाम रामगोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज सु०ए०-65/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
1-1-18	पत्रावली में नहीं। वकालत फरिकेन उपस्थित/ पीठ ../अन्य काय में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-2-18 को पेश हो।	
22-2-18	पत्रावली में नहीं। वकालत फरिकेन उपस्थित/ पीठ ../अन्य काय में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-3-18 को पेश हो।	
23-3-18	पेश नहीं। वकालत फरिकेन उपस्थित/ पीठ ../अन्य काय में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-4-18 को पेश हो।	
16-4-18	पत्रावली में नहीं। वकालत फरिकेन उपस्थित/ पीठ ../अन्य काय में व्यस्त/ मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27-4-18 को पेश हो।	
29.06.2018	वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली इकजाई पेशी 20.07.2018 से पूर्व तलब होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलो अप कैम्प– श्रीमाधोपुर में पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता 5 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 6 की ओर से उपस्थित तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ।	

Scanned by CamScanner

रामेश्वर बनाम रामगोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	25-40-65/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1760 से 1765, 1767 से 1771 कुल किता 11 कुल रकबा 7.27 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1766 रकबा 1.30 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं.1,2 व 4 के पिता भूरा पुत्र बींजा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता नारायण पुत्र बींजा के नाम से दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के पिता भूरा पुत्र बींजा व वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 के पिता नारायण पुत्र बींजा के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जिन्होनें अपनी पैत्रृक व पारिवारिक भूमियों का बाहमी बंटवारा करके मौके पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पक्षकारान् के मध्य पारिवारिक बंटवारा लेख दिनांक 01.02.2017 को बिना किसी नशे पत्ते व स्वंतत्र सहमति से परिवार के समक्ष लिखवाकर गवाहान् के तौर पर परिवार के पांच भाईयों के हस्ताक्षर करवा दिये थें। पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार ढ़ाणी डेरावाली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1760 से 1771 कुल किता 12 कुल रकबा 8.57 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण की भूमि वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है जिस पर वादीगण काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे है तथा ग्राम हांसपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 1.36 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि पश्चिमी तरफ की उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रतिवादी रामगोपाल के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई हुई है। इसी प्रकार खसरा

Scanned by CamScanner

राजेश्वर बनाम रामगोपाल

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	3070 — 65/2017	

नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर के मध्य भाग में से 1.52 हैक्टर भूमि उत्तर दक्षिण लम्बाई में प्रतिवादी रामावतार के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 543 रकबा 2.55 हैक्टर में से शेष बची भूमि 0.87 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 552 रकबा 2.52 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण शिशपाल पुत्र भूराराम व महेन्द्र कुमार पुत्र नारायण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी हुई है व इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है। वादीगण व प्रतिवादीगण पारिवारिक बाहमी बंटवारा अनुसार मौके पर पूर्णत काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पहले तो वादीगण को हॉ करते रहे परन्तु अर्सा 10 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार होने पर दावा पेश करने लाजिम आया है। खातेदारी भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादीगण ने वादपत्र में किया है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता 5. के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण पेशशुदा सजरा से एक ही परिवार से है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के नाम ग्राम हांसपुर में भूमि होना अंकित किया है लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसा कोई पुराना रिकार्ड इत्यादि पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त भूमियॉ किस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड हुई है। प्रकरण में पक्षकारान् ने आपस में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया राजीनामा स्टाम्प ड्यूटी बचाने की नियत से पेश किया जाना प्रतित होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों को वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये

GM-

Scanned by CamScanner

रामेश्वर उर्फ रामगोपाल

संक्षिप्त हुक्म	हुक्म या कार्यवाही एवं हस्ताक्षर जज
	56-70-65/2017

है। जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र केवल मात्र स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की नियत से पेश किया जाना प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को मैं वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर से राशि राज्यकोष में जमा कराने की शर्त पर डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलोअप कैम्प–श्रीमाधोपुर में स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1760 लगायत 1765, 1767 लगायत 1771 कुल किता 11 कुल रकबा 7.27 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 1766 रकबा 1.30 हैक्टर में हिस्सा 1/12 एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1753, 1759 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर सम्पूर्ण का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् से भूरा, नारायण पिता बींजा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। उक्त घोषित रकबे की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner